प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 5 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 24 – 31 जनवरी 2022 मूल्य पांच रूपए

घातक होगा कांगड़ा से कार्यालयों को मंडी ले जाना

- जयराम भी लगे मुफ्त बिजली देने
- कृषि मंत्री ने शुरू की पदयात्रा लेकिन किसानों की आय कैसे होगी दोगुनी इस पर रहे खामोश

शिमला/शैल। जयराम मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और चार-पांच चेहरे इसकी चपेट में आयेंगे। यह चर्चा मीडिया के एक हिस्से में पूरी प्रमुखता से चल रही है। कहा जा रहा है कि यह सब पांच राज्यों के चुनाव के बाद होगा। यह चुनाव परिणाम दस मार्च को आयेंगे और विधानसभा का बजट सत्र इसी माह के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जायेगा। इसका अर्थ होगा कि बजट सत्र के दौरान कोई फेरबदल होना संभव नहीं होगा। इसी दौरान कांगड़ा जिला को तोड़कर यहां दो नये जिले बनाने की चर्चा भी चली । जिले तो अभी तक नहीं बने लेकिन कांगड़ा से कुछ विभागों के कार्यालयों को यहां से मंडी ले जाने का क्रम शुरू हो गया है। इसमें क्या-क्या घटता है यह देखना दिलचस्प होगा। हमीरपुर के कुछ चुनाव क्षेत्रों में भाजपा बनाम भाजपा शुरू हो गया है। कांगड़ा के नूरपुर से निक्का राम ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वह टिकट न मिलने पर आजाद होकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग जिस तर्ज पर चेतन बरागटा का टिकट परिवारवाद के नाम पर कटा उसी तर्ज पर और टिकट काटे जाने की भूमिका तैयार करने लग गये हैं। इनके निशाने पर महेंद्र सिंह ठाकुर चल रहे हैं। वैसे सारे क्षेत्रों में विधायकों के अतिरिक्त दूसरे समांतर सत्ता केंद्र प्रभावी रूप से टिकट की दावेदारी के लिए तैयार हो गये हैं। पिछली बार उम्मीदवार रहे बहुत सारे लोगों के टिकट इस बार काटे जायेंगे। यह संकेत धर्मशाला में कार्यकारिणी की हुई विस्तारित बैठक के बाद से आने शुरू हो गये थे। इस तरह अगर प्रदेश भाजपा सरकार में अब तक घटे सब कुछ को इकटठे रख कर आंकलित किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ा वर्ग मुख्यमंत्री को पार्टी का एकछत्र नेता स्थापित करने के प्रयासों में लगातार लगा हुआ है। इसी वर्ग ने उपचुनाव में चार शुन्य होने को धूमल खेमें के सिर लगाने का प्रयास किया था जिस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है।

मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के साथ ही जयराम के कुछ मंत्रियों ने अपने चुनाव क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। संपर्क से समर्थन की कड़ी में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कई पंचायतों में पदयात्रा कर ली है और इस यात्रा के दौरान अपनी उपलब्धियों का ब्योरा लिखित में लोगों के बीच रखा है। यह दूसरी बात है कि प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते अपने लोगों को यह जानकारी नहीं दे पाये हैं कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व्यवहारिक रूप से क्या क कदम उठाये हैं।

शायद वह कुछ किसानों को सम्मान निधि दिये जाने को ही आय दोगुनी होना मान रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री ने भी विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहतओं की भरपाई 92 करोड़ बिजली बोर्ड को देकर करेगी। लेकिन यह ऐलान करते हुए यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कर्ज के चक्रव्यू में उलझी सरकार बिजली बोर्ड को यह 92 करोड कहां से देगी। क्या इसके लिए कर्ज लिया जायेगा या दूसरे उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालकर यह खैरात बांटी जायेगी।

इस परिदृश्य में यहां बड़ा स्वाल होगा जब पार्टी में अधिकांश स्थानों पर भाजपा बनाम भाजपा का वातावरण तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़े जिले कांगड़ा के विभाजन और वहां से कार्यालयों को बदलकर मंडी लाने की नीति पर काम हो रहा है तो क्या इसे मंडी बनाम शेष हिमाचल करने की कवायद की जा रही है। या एक ऐसा वातावरण खड़ा किया जा रहा है जिसमें ''मैं हूं और रहूंगा'' को प्रैक्टिकल शक्ल देने की योजना बनाई जा रही है। क्या कांगड़ा से कार्यालयों को मंडी ले जाने पर वहां का नेतृत्व और जनता इसे खामोश रहकर स्वीकार कर लेगी। यदि कांगड़ा में इसका खुला विरोध होना शुरू हो जाता है तो क्या वहां से भाजपा कुछ भी हासिल करने में सफल हो पायेगी। फिर अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर भी व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं हो पाया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में पांच राज्यों के चुनाव

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या जयराम सरकार मीडिया पॉलिसी बनाने के प्रति गंभीर है

शिमला/शैल। पिछले दिनों वेब साइट्स के मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था और वेबसाइट के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की थी। इन मीडिया कर्मियों का आरोप था कि पिछले 4 साल से जयराम सरकार लगातार पॉलिसी बनाने का आश्वासन देती आ रही है। लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं हुआ है। इस ज्ञापन के बाद अब अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी करके यह कहा गया है कि वित्त विभाग ने यह पॉलिसी बनाये जाने के लिये अपनी सहमति दे दी है। इस पर 15 फरवरी तक मीडिया कर्मियों से सुझाव मांगे गये हैं। यह सुझाव आने के बाद पॉलिसी का फाईलन ड्राफ्ट तैयार होगा और वर्ष के अंत तक पॉलिसी बनकर तैयार होगी। इसी बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अभी सेवानिवृत्त हो जायेंगे। उनके स्थान पर नया सचिव नियुक्त होगा और उसे भी इस मामले को समझने के लिए कुछ समय चाहिए ही होगा। उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर पॉलिसी बनाने का यह काम अगली सरकार के लिए छोड़ दिया जाएगा। सरकारी तंत्र की कार्यशैली को समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि यही होगा। हो सकता है मुख्यमंत्री को यह जानकारी ही न हो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को कोई और ही ताकत संचालित कर रही है अन्यथा कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे क्यों करेगा कि वह विज्ञापनों को लेकर सदन में पूछे गये सवाल का हर बार यही उत्तर दें कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जबकि हर आदमी जानता है कि किसे करोड़ों के विज्ञापन सरकार ने दिये और किसे एक पैसे का भी विज्ञापन नहीं मिला।

इस परिदृश्य में यदि पॉलिसी के लिए सुझाव की बात की जाये तो सबसे पहले नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि सूचना एवं जनसंपर्क होता क्या है। क्या विभाग के सचिव और निदेशक का अपना कोई जनता से संपर्क होता है? क्या कभी इन लोगों ने जन से संपर्क बनाने का प्रयास किया है? शायद नही। यदि कोई संपर्क होता तो इन्हें सरकार की नीतियों की जमीनी हकीकत पता होती। यह विभाग प्रशासनिक अधिकारियों का काम नहीं है यह समझना जरूरी है। जनसंपर्क का दूसरा बड़ा हिस्सा है सूचना। यह सूचना प्राप्त करने के लिये जनता से संपर्क और संवाद चाहिये। जनता अपने भीतर की बात तब खुलकर बताती है जब उसे सुनने वाले पर विश्वास हो। हर पीड़ित व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होता है कि वह प्रशासन के सामने बेबाकी से अपनी बात रख सके क्योंकि उसकी

शेष पृष्ठ 8 पर.....

प्रदेश में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया

शिमला/शैल। 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर राज्य स्तरीय

गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली।

राज्यपाल ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया और परेड कमांडर 2 नागा रेजिमेंट जतोग के कैप्टन गुरदेव सिंह के नेतृत्व में भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मार्च पास्ट में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, राज्य पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवाएं और हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबन्धन, पूर्व सैनिक, एन.सी.सी. व एन.एस.एस. इत्यादि के कैडेट्स शामिल थे।

गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती झांकियां भी प्रस्तुत की गई। नागा रेजिमेंट की ओर से प्रस्तुत ड्रिल भी सराहनीय रही।

बर्फबारी और खराब मौसम के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शिमला के गेयटी थियेटर में किया गया। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने कोविड महामारी से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम और लघु नाटिका प्रस्तुत की। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (पंजाब) के कलाकारों ने भांगड़ा और जिन्दुआ की प्रस्तुती दी, जोकि सभी के आकर्षण का केन्द्र रही।

ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकियों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नगर निगम शिमला को दूसरा और शिक्षा विभाग की झांकी को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए।

राज्यपाल ने सरकारी क्षेत्र में महात्मा गांधी स्वास्थ्य सेवा संस्थान खनेरी रामपुर को तथा लॉयन रियोन डायलेसिस एवं हेल्थ केयर सेंटर न्यू शिमला को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर संचालन के लिए सम्मानित किया।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल, विधायक बलबीर वर्मा, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में भी आज 73वें गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे उत्साह एवं हर्षोल्लास से किया गया। जिला मुख्यालयों में मुख्यातिथियों द्वारा तिरंगा फहराया गया और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर ऐतिहासिक रिज

मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को स्मरण करते हुए कहा कि देश को आजाद करने के लिए दिए गए योगदान व बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए।

शहीदी दिवस के अवसर पर दो मिनट का मौन भी रखा गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ कौल सिंह नेगी, उपायुक्त आदित्य नेगी और अन्य गणमान्य लोगों ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित विभूतियों को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विद्यानन्द सरैक और ललिता वकील को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित करने पर बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की यह दोनों विभूतियां चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चयनित हुई हैं और इन दोनों का ही अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बा से संबंध रखने वाली ललिता वकील गत 50 वर्षों से चम्बा रूमाल के उन्नयन में जुटी हुई हैं और यह सम्मान न केवल उन्हें बल्कि चम्बा जिला की पारम्परिक चम्बा रूमाल कला को भी एक नई पहचान देगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विद्यानन्द सरैक विभिन्न विधाओं में पारंगत विभूति हैं जो पिछले पांच दशकों से पहाड़ी संस्कृति को संरक्षित और प्रचलित करने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यानन्द सरैक ने अनेक लोकगीत, नाटियां और लोक साहित्य की रचना की है।

मुख्यमंत्री ने दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु मिश्रा को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से पुरस्कृत करने पर बधाई दी है। उन्होंने बेहतरीन सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित चार अन्य पुलिस अधिकारियों जिनमें पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रंजना चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार शर्मा, निरीक्षक लक्ष्मण कुमार और सहायक उप निरीक्षक जगदीश चन्द को भी बधाई दी है।

बिजली बिलों में छूट के निर्णय से लाभान्वित होंगे प्रदेश के 11 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति देने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हाल ही में सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व समारोह के दौरान विद्युत क्षेत्र में विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा घरेलू व कृषि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में छूट प्रदान करने की घोषणा कर राहत प्रदान की गई है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार वे सभी उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रतिमाह है और जिन्हें एक रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल देना पड़ता था, अब उनसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें फिक्स्ड चार्जेस और मीटर रेंट की भी पूरी तरह से छूट रहेगी। इसके साथ ही जिन घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की खपत 125 यूनिट तक है और इन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा पहले से ही अनुदान युक्त दर पर एक रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता है, इसमें सरकार ने 55 पैसे की और छूट प्रदान की है। अब इस राहत से इन्हें केवल एक रुपये प्रति यूनिट ही देना होगा।

उन्होंने बताया कि इस तरह 60 यूनिट तक आने वाले वर्ग में लगभग 4 लाख से अधिक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं और 60 यूनिट से आगे 125 यूनिट तक आने वाले लगभग 7 लाख से अधिक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार इस छूट का लाभ प्रदेश के लगभग 11 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की यह विशेष रियायतें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मार्च, 2022 से और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल, 2022 से दी जाएंगी।

दूसरी ओर किसानों को राहत देने के लिए भी बिजली की वर्तमान अनुदान युक्त दरों को 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि क्योंकि यह सभी राहतें राज्य सरकार की ओर से हैं और इसलिए राज्य सरकार की ओर से इन राहतों की एवज में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को लगभग 90 करोड़ रुपये सालाना भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह सभी राहतें प्रदेश की जनता के हित में हैं। इन राहत और सुविधाओं की घोषणा इसलिए भी की जा रही है कि कोरोना के कठिन समय में पहले भी और अब भी कुछ वर्ग के लोग कई कारणों से विद्युत बिल देय नहीं कर पाये थे। उनकी विशेष सहायता के लिए भी सरकार ने यह कदम उठाया है और इन सुविधाओं को आगे भी जारी रखा जायेगा।

आबकारी विभाग का अवैध शराब के कारोबारियों के विरूद्ध अभियान जारी

शिमला/शैल। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के कारोबारियों के विरूद्ध विभाग का अभियान जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देने के लिए टीम का भी गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि 28 जनवरी, 2022 को हिमांशु पंवर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन के नेतृत्व में जिला सोलन व बिलासपुर और बी.बी.एन. बद्दी के राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों की टीम द्वारा संदिग्ध स्थान गांव बलेचढ़ी, नजदीक गांव लोहारघाट, तहसील राम शहर, ग्राम पंचायत सौर, जिला सोलन में सायं 6:15 बजे अवैध शराब के निर्माण बारे सूचना मिलने पर जांच शुरू की गई। इसमें स्थानीय प्रधान व स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध इमारत की तलाशी ली गई व इस दौरान कई प्रकार की ऐसी सामग्री पाई गई, जिससे यह अंदेशा होता है कि इस इमारत में अवैध देसी शराब का विनिर्माण किया जाता है।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उक्त इमारत से वी.आर.वी. फूल्स लिमिटेड VRV FOOLS LIMITED के संतरा नामक ब्रांड के लेबल, खाली बोतलें, वी.आर.वी फूड्स लिमिटिड VRV Foods Limited के खाली डब्बे व ढक्कन, टेप रोल सहित वी.आर.वी. फूड्स लिमिटेड मार्का फ्लेवरिंग एजेंट, जोकि देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बैच पंचिंग मशीन, होलोग्राम प्लास्टिक ड्रम आदि बरामद किए गए। यह सब सामग्री सामान्य रूप से देसी शराब बनाने में प्रयोग होने का अंदेशा है।

उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 39, 47 व 56 के उल्लंघन की शिकायत पुलिस थाना राम शहर में दर्ज करवाई गई है। यह कार्रवाई राज्य कर एवं आबकारी विभाग एवं पुलिस दल राम शहर थाना द्वारा गवाहों की मौजूदगी में संयुक्त रुप से पूरी की गई।

मुख्यमंत्री ने सीसीटीएनएस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पुलिस विभाग को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष हिमाचल प्रदेश पुलिस को क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर पुलिस विभाग को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीएनएस पुलिस थानों की कार्य प्रणाली की रीढ़ है और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपराधों की निगरानी एवं नियंत्रण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का सर्वोत्ष्ट उपयोग सुनिश्चित किया है। साथ ही प्रभावी पुलिस कार्य प्रणाली के ष्टिगत राज्य में कई जन मित्र योजनाओं की भी पहल की है। उन्होंने इस परियोजना में सिस्टम इंटेग्रेटर की प्रभावी भूमिका के लिए टैक महेन्द्रा को भी शुभकामनाएं दी हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से रेल लाईन के विस्तार के मामले पर चर्चा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक की। बैठक में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री से राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भानुपल्ली – बिलासपुर रेल लाईन के कार्य को गति देने के लिए हर प्रयास कर रही ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस रेलवे लाईन के कार्य में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहा कि इस लाईन का लेह तक विस्तार करना सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अवगत करवाया कि इस लाईन का पूर्ण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इस मामले में आगामी कार्यवाही का आग्रह किया।

जय राम ठाकुर ने बद्दी – चंडीगढ़ रेल लाईन पर शीघ्र कार्य आरम्भ करने का भी आग्रह किया और बताया कि हिमाचल प्रदेश की ओर से भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा चुका है। यह बद्दी – अमृतसर – कोलकाता गलियारे से जुड़ने और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। उन्होंने बद्दी की ओर से कार्य शुरू करने का आग्रह किया क्योंकि यहां सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने जगाधरी – पांवटा साहिब रेल लाईन के सर्वेक्षण का भी आग्रह किया जो कि काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र को बद्दी – अमृतसर – कोलकाता गलियारे से जोड़ने में सहायक होगा।

उन्होंने रेल मंत्री से कालका – शिमला रेल ट्रैक को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया क्योंकि इस ट्रेन की गति बहुत धीमी है। उन्होंने कहा कि ट्रेन में नए कोच जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि मौजूदा कोच बहुत पुराने हैं।

उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की विरासत को प्रदर्शित हुए अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के दृष्टिगत कालका – शिमला रूट पर स्टेट – ऑफ आर्ट ट्रेन शुरू करने का सुझाव दिया।

उन्होंने जोगिन्द्रनगर और ऊना – हमीरपुर रेल लाईन के बारे में भी चर्चा की।

केन्द्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को भानुपल्ली – बिलासपुर रेल लाईन को शीघ्र पूरा करने के लिए राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्टेट – ऑफ आर्ट ट्रेन को पी.पी.पी. मोड पर आरम्भ करने का प्रस्ताव भेजने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए सम्भावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय शीघ्र ही ऊना – हमीरपुर रेल लाईन के लिए राज्य को प्रस्ताव भेजेगा। बैठक में अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और ऊना हमीरपुर रेल लाईन पर शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला भी बैठक में उपस्थित थे।

मंडी हवाई अड्डा निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री से विशेष सहायता का आग्रह:मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष केन्द्रीय

सहायता प्रदान करने तथा अर्थोपाय की स्थिति बनाए रखने के लिए भी सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने मंडी हवाई अड्डा निर्माण के लिए भी विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस विषय में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी भेंट की।

जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से स्मार्ट मीटर, पम्प भण्डारण, ऊर्जा नीति, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के साथ राज्य द्वारा जारी स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के प्रमुख अंशों के बारे में भी चर्चा की और लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए जल विद्युत उत्पादन वाले राज्यों के साथ विस्तृत संवाद का आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने राज्य के सुझावों की सराहना करते हुए प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैक्षणिक संस्थान 3 फरवरी 2022 से खोलने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी, 2022 से 15 मार्च, 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। वित्त वर्ष 2022 – 23 के लिए बजट 4 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने गर्मियों के अवकाश वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी, 2022

से खोलने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी इसी तिथि से खुल जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के छः दिन शत – प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे, हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी। बैठक में ज़िम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया। सभी सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 500 तथा आंतरिक स्थलों में 250 लोगों अथवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बन्द होंगी। आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलम्बित रहेगा।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इन्टेग्रेटिड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीलें पदार्थो की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरूपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गम्भीर समस्या को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा काननू प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केन्द्र की स्थापना द्वारा बहु – स्तरीय सहयोग तंत्र के तहत अन्तर सरकारी और अन्तर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है।

मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल – 1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को आईजीएमसी – आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर 40.50 प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक मॉडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निःशुल्क जांच शामिल हैं, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है। अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी, 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बाली चौकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा चार पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया गया। इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपये व्यय करेगी।

मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का भी निर्णय लिया। इससे विभिन्न योजनाओं के 78158 अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में मार्च के अंत तक कार्य शुरू होगा:धर्मेंद्र प्रधान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में कार्य शीघ्र आरम्भ करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत किस्त जल्द जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को शिक्षा के क्षेत्र में संचालित की जा रही अन्य योजनाओं की प्रगति से भी अवगत करवाया।

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सीपीडब्ल्यूडी एक मास्टर प्लान तैयार करेगा और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों जद्रांगल और देहरा में मार्च के अंत तक कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला भी उपस्थित थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य की अधिकांश मांगे मानी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ नई दिल्ली में आयोजित बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार की अधिकांश मांगों को स्वीकृति दे दी है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गया है कि राज्य अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक होने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए प्री – फैब्रीकेटिड संरचनाओं के स्थान पर ईंट और मोर्टार से निर्माण कर सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य में स्थायी स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को ईसीआरपी – 2 के तहत उपलब्ध फंड से अतिरिक्त 50 एंबुलेंस खरीदने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मरीजों को और बेहतर तथा विश्वसनीय परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों का त्वरित परिवहन भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से भी कम होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर ईसीआरपी – 2 के तहत हिमाचल प्रदेश की संसाधन सीमा को 203.86 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 240.56 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएचएम के तहत कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और पूरक पीआईपी के तहत अतिरिक्त शहरी आशा की नियुक्ति के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्रे जय राम ठाकुर ने केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर इन मुद्दों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया था।

मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं।
जब वो केन्द्रित होती हैं, चमक उठती हैं।
.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

विश्वास के संकट में भाजपा और मोदी

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम क्या रहते हैं यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहुत संभव है कि भाजपा की सरकारें न बन पाये। क्योंकि चुनाव के दौरान जो अब तक घट चुका है यदि उसका निष्पक्षता से आकलन किया जाए तो यही प्रबल संभावना उभरती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है यह राजनीतिक समझ रखने वाला हर आदमी जानता है। यहां पर चुनावों की घोषणा के बाद ईडी की छापेमारी हुई और जब यह सामने आया है कि यह छापेमारी भाजपा के आदमी के घर पर ही हो गयी है तब इसे रफा-दफा करते हुए दूसरी छापेमारी सपा के आदमी पर हो गयी। इस छापेमारी का क्या राजनीतिक संदेश गया है इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोराना के कारण यह चुनाव कुछ समय के लिये टालने का फैसला दे दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय में भी इसी आश्य की एक याचिका चुकी है। यही नहीं भाजपा नेता पूर्व मंत्री वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने अब एक याचिका दायर करके सपा और आम आदमी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्रों में कई चीजें मतदाताओं को मुफ्त देने के वायदों को रिश्वतखोरी/ नाजायज प्रलोभन करार देकर इन दलों की मान्यता रद्द करने की गुहार लगायी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग केंद्र सरकार और इन दलों को नोटिस जारी कर दिये हैं। संयोगवश यह मुद्दे उठाने वाले लोग भाजपा की ही पृष्ठभूमि के हैं।

यह सही है कि चुनावों में इस तरह की मुफ्तखोरी के वादे और वह भी सरकारी कोष के माध्यम से सीधे रिश्वतखोरी करार देकर इस पर आपराधिक मामले दायर होने चाहिए और ऐसे दलों की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिय? लेकिन क्या यह मुद्दे उठाने का समय अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद ही है? क्या ऐसे वादों के दोषी यही दो दल हैं? जब 2014 में हर आदमी के खाते में पन्द्रह-पन्द्रह लाख आने का वायदा किया गया था तब क्या वह जायज था? आज हर सरकार हर वर्ष कर मुक्त बजट देने की घोषणा के पहले या बाद में जनता पर करों का बोझ डालती है क्या यह जायज है? चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के खर्च की सीमा तो तय कर रखी है लेकिन उसे चुनाव लड़वा रहे दल की को खर्च की सीमाओं से मुक्त रखा है क्यों? चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले आचार संहिता की घोषणा करता है। लेकिन इस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आपराधिक मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। केवल चुनाव याचिका ही दायर करने का प्रावधान है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर एक बड़ी राष्ट्रीयव्यापी बहस की आवश्यकता है और तब चुनाव अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये। लेकिन आज इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वायदा किया था कि वह संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवायेंगे। देश में 'एक देश एक चुनाव' की व्यवस्था बनाने का भी भरोसा दिया था। लेकिन इन वायदों पर कुछ नहीं हुआ। यदि नीयत होती तो संसद में इतना प्रचंड बहुमत मिलने पर चुनाव अधिनियम में आदर्श संशोधन किये जा सकते थे। परंतु एक ही काम किया कि चुनावी बॉडस के लिये सारा तंत्र सत्तारूढ़ दल के गिर्द घुमाकर रख दिया।

इस परिपेक्ष में आज जो प्रयास किये जा रहे हैं उनकी ईमानदारी पर संदेह होना स्वाभाविक हो गया है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय से यही आग्रह रहेगा कि इन चुनावों के परिणाम आने के बाद राजनीतिक दलों की इस मुफ्ती रणनीति पर कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाये जो हर छोटे-बड़े दल पर एक सम्मान लागू हो। चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति और राजनीतिक दल के लिये यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वह चुनाव में आने पर नामांकन के साथ ही राज्य या केंद्र जिसके लिये भी चुनाव हों वह आर्थिक स्थिति पर अपना पक्ष स्पष्ट करें और यह घोषणा करे की अपने वायदों को पूरा करने के लिये सरकारी कोष पर न कर्ज का बोझ डालेगा और न ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर करों का भार डालेगा। न ही सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण के नाम पर प्राइवेट सैक्टर के हवाले करेगा। जैसा कि इस सरकार ने कर रखा है। आज स्थिति या हो गयी है कि यह सरकार किसानों से राय लिये बिना तीन कृषि कानून लायी। इन कानूनों के विरोध में आंदोलन हुआ। तेरहा माह चले इस आंदोलन में सात सौ किसानों की मौत हो गयी उसके बाद कानूनों को वापस ले लिया गया। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी पर कमेटी बनाऐंगे। किसानों के खिलाफ बनाये गये आपराधिक मामले वापिस लिए जायेंगे। लेकिन आज चुनावों के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि इन वायदों पर अमल नहीं हुआ है। इस वादाखिलाफी की आंच चुनाव में साफ असर दिखा रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं घोषणा करके उस पर चुनाव के वक्त भी अमल न करें तो उसे कैसे लिया जाये। जब प्रधानमंत्री के वायदों पर ही विश्वास न बन पाये तो सरकार और पार्टी पर कोई कैसे विश्वास कर पायेगा? आज प्रधानमंत्री और उनकी सरकार तथा पार्टी सभी एक साथ विश्वास के संकट में हैं और यह सबसे ज्यादा घातक है।

देश में सुशासन के लिए केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता

बी के चतुर्वेदी
पूर्व कैबिनेट सचिव

हाल में मीडिया में ऐसी कई रिपोर्टें आयीं हैं, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर आईएएस अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए आईएएस सेवा नियमों में संशोधन के भारत सरकार के प्रस्तावित कदम को लेकर कई राज्य सरकारों की गंभीर चिंताओं का जिक्र है। वर्तमान व्यवस्था के तहत, राज्यों से अधिकारी स्वेच्छा से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनते हैं। केंद्र इन अधिकारियों में से रिक्त पदों के लिए या निकट भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के लिए चयन करता है। ऐसा करते समय केंद्र, अधिकारी के पिछले अनुभव के आधार पर उसकी उपयुक्तता पर विचार करता है। एक बार चयन को अंतिम रूप देने के बाद, राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त करने का अनुरोध करते हुए आदेश जारी किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य का एक निश्चित कोटा होता है, जिससे ज्यादा उसके अधिकारियों को केंद्र द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

पिछले दशक में, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों की संख्या में क्रमिक गिरावट आई है। 60 के दशक में जहां अवर सचिव स्तर पर भी कई आईएएस अधिकारी होते थे, वहीं वर्तमान में केंद्र सरकार के लिए संयुक्त सचिव स्तर पर भी पर्याप्त संख्या में अधिकारियों का मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आमतौर पर, राज्यों की कुल संवर्ग संख्या में से लगभग 25 से 30 प्रतिशत अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हुआ करते थे। वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में 10 प्रतिशत से भी कम अधिकारी कार्यरत हैं। कुछ रिपोर्टो के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में यह संख्या 8 से 15 प्रतिशत के बीच है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए पहले अधिकारियों में एक आकर्षण हुआ करता था। इसे अधिकारी की योग्यता के रूप में देखा जाता था। चयन प्रक्रिया कठिन थी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की इस अनुपलब्धता का एक कारण करीब डेढ़ दशक पहले के कुछ वर्षो में अधिकारियों की अपर्याप्त भर्ती थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है- राज्यों के पास तुलनात्मक रूप से बेहतर सेवा शर्तें हैं। हालांकि नियमों में किसी भी बदलाव के पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र और राज्यों में अधिकारियों की कमी में संतुलन रहे। यदि राज्य में अधिकारियों की कमी है, तो केंद्र को इसे स्वीकार करना चाहिए और वर्ष की शुरुआत में राज्य के साथ एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए। राज्यों पर भी इसी तरह की जिम्मेदारी है।

नियमों में प्रस्तावित बदलावों को उपरोक्त आधार पर स्पष्ट रूप से गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसका उद्देश्य एक किस्म की विसंगति को दूर करना है। राज्यों की संवर्ग संख्या निर्धारित करते समय उच्च स्तर के कर्तव्य वाले लगभग 40 प्रतिशत पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रखे जाते हैं। इसलिए केन्द्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित संख्या में पदों को रखे जाने के बारे में राज्यों के लिए नियुक्ति और स्वीकृत पदों की प्रक्रिया से संबंधित एक अंतर्निहित प्रावधान है। अतीत में हुई अपर्याप्त भर्तियों को देखते हुए नियमों में प्रस्तावित बदलाव केंद्र और राज्यों के बीच इस कमी को समान रूप से साझा करने का प्रावधान करता है। चूंकि रिक्तियों को समय पर भरे जाने की जरूरत होती है, इसलिए समय-सीमा से जुड़ा एक सुझाव भी है जिसके भीतर राज्यों को जवाब देना चाहिए और प्रतिनियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी को कार्यमुक्त करना चाहिए।

हालांकि, राज्यों की भी कई चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि राज्यों के साथ चर्चा के दौरान जब वे उन अधिकारियों की सूची देते हैं जिन्हें वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजना चाहते हैं, तो यह विशुद्ध रूप से राज्यों का प्रस्ताव होगा। यह प्रस्ताव राज्य की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर होगा और फिर अतीत में हुई भर्ती में कमी को समान रूप से साझा करते हुए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नामों की पेशकश की जायेगी। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे जाने वाले अधिकारियों की सूची तैयार करने में केन्द्र की कोई भूमिका नहीं होगी।

केन्द्र अगर किसी अधिकारी को चाहता है, तो वह राज्य को इस आशय सुझाव देगा। यदि दोनों सहमत होते हैं, तो उक्त अधिकारी को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। यदि राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए उस अधिकारी के नाम का सुझाव नहीं देना चाहता है, तो संवर्ग नियमों के तहत इस संबंध में शक्ति होने के बावजूद केन्द्र राज्य के विचारों का सम्मान करेगा। अतीत के अनुभवों से यह पता चलता है कि केन्द्र द्वारा अपनी शक्तियों का ऐसा प्रयोग प्रतिकूल साबित होता है। संवर्ग प्रबंधन के संदर्भ में इसके नतीजे अच्छे नहीं होते हैं।

केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि संवर्ग प्रबंधन की उत्कृष्ट सफलता सुनिश्चित करने हेतु उप सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए कार्य परिस्थितियों को बेहतर करना अत्यंत आवश्यक है। यदि बड़ी संख्या में अधिकारी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनते हैं, तो राज्यों पर संबंधित नामों की पेशकश करने का दबाव होगा। वहीं, दूसरी ओर यदि केवल कुछ ही अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनते हैं, तो राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों को दिल्ली जाने का विकल्प चुनने के लिए विवश करेगी। इस स्तर के कई अधिकारियों को दिल्ली में अपने बच्चों की शिक्षा, आवागमन और काफी महंगे जीवनयापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को अवश्य ही सुलझाना होगा। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ता देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। विशेष स्कूलों जैसे कि संस्कृति और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला सुनिश्चित करके उन्हें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का भरोसा दिलाया जा सकता है। ये प्रतिष्ठित संस्थान इस मुद्दे पर डीओपीटी के साथ उचित समझौता कर सकते हैं।

राज्यों को भी इस मुद्दे पर विरोधात्मक या प्रतिकूल नजरिए से नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ गौर करना होगा, जिसके तहत केंद्र और राज्य दोनों की ही जरूरतों में उचित सामंजस्य बैठाना और पूरा करना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत केवल संबंधित अधिकारियों की कमी को पूरा करने और जहां आवश्यक हो इसे साझा करने की एक व्यवस्था सुझाई गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को चाहिए कि वह केंद्रीय सत्ता के दुरुपयोग को लेकर राज्यों की आशंकाओं को दूर करे।

आने वाले वर्षो में केंद्र में डीएस और निदेशक के स्तर पर उच्च अधिकारियों की कमी होगी। अत: केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए इनमें से कुछ कमी को पूरा करने पर विचार करना चाहिए। दरअसल, इनमें से कई वरिष्ठ अधिकारी अत्यंत काबिल हैं और वे दो वर्षो तक सचिवीय कार्य की आवश्यकताओं को बखूबी पूरा कर सकते हैं।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच टकराव

–प्रकाश सिंह–

अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में विस्तार के मुद्दे पर केन्द्र और राज्यों के बीच विवाद से उपजे गुबार का थमना अभी बाकी है। इस बीच, आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में संशोधन को लेकर एक और विवाद हमारे सामने है।

संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की एक प्रणाली का प्रावधान करने के पीछे संविधान निर्माताओं का व्यापक उद्देश्य केन्द्र एवं राज्यों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना और प्रशासन के मानक में एकरूपता सुनिश्चित करना था। संविधान को प्रख्यापित करने के समय भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा निर्मित सेवाओं के रूप में माना गया। इन सेवाओं के लिए अधिकारियों की भर्ती भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। चयन के बाद, अधिकारियों को रिक्तियों के आधार पर राज्यों और केन्द्र–शासित प्रदेशों के संवर्ग (कैडर) आवंटित किए जाते हैं। हर राज्य में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का एक रिजर्व होता है, जोकि उस राज्य में उच्च कर्तव्यों वाले पदों का 40 प्रतिशत होता है। केन्द्रीय पुलिस संगठनों सहित भारत सरकार के विभिन्न अंगों को चलाने के लिए केन्द्र सरकार को इस रिजर्व में से अधिकारी उपलब्ध कराए जाते हैं।

मौजूदा परिपाटी यह है कि केन्द्र हर साल राज्यों से अखिल भारतीय सेवाओं के उन अधिकारियों की 'प्रस्ताव सूची' मांगता है जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक होते हैं। इस सूची में से केन्द्र अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उपयुक्त समझे जाने वाले अधिकारियों का चयन करता है। दुर्भाग्य से, इस 'प्रस्ताव सूची' में शामिल होने वाले अधिकारियों की संख्या घट रही है। कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां एक अधिकारी ने खुद को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ है कि केन्द्र को पिछले कुछ समय से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का पूरा कोटा नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां पैदा हो रही हैं।

उदाहरण के तौर पर, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले संयुक्त सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों की संख्या 2011 में 309 थी जोकि 2021 में से घटकर 223 रह गई है। यह पिछले दशक के दौरान अधिकारियों के उपयोग दर के 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत तक पहुंच जाने को दर्शाता है। देश में उप–सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों की संख्या 2014 में 621 से बढ़कर वर्तमान में 1,130 हो गई है। फिर भी, प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या 117 से घटकर 114 रह गई है। आईपीएस अधिकारियों के संदर्भ में भी स्थिति बदतर तो नहीं, लेकिन उतनी ही खराब है। देश में आईपीएस अधिकारियों के कुल 4,984 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 4074 पदों पर अधिकारी तैनात हैं। उच्च कर्तव्यों वाले कुल पद (एसपी से डीजी तक) 2720 हैं, जिनमें से 1075 पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिजर्व हैं। इसके बरक्स, सिर्फ 442 अधिकारी ही केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। परिणामस्वरूप, 633 अधिकारियों की रिक्ति पैदा हुई है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले में सबसे से बड़ा दोषी पश्चिम बंगाल साबित हुआ है, जहां सीडीआर के 16 प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है। हरियाणा में सीडीआर के 16.13 प्रतिशत, तेलंगाना में 20 प्रतिशत और कर्नाटक में 21.74 प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि केन्द्रीय पुलिस संगठनों को अधिकारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बीएसएफ में, डीआईजी के 26 पदों के मुकाबले 24 रिक्तियां हैं। सीआरपीएफ में, डीआईजी के 38 पदों के मुकाबले 36 रिक्तियां हैं। सीबीआई में पुलिस अधीक्षकों के 63 पदों के मुकाबले 40 रिक्तियां हैं। इसी प्रकार आईबी में, डीआईजी के 63 पदों के मुकाबले, 45 रिक्तियां हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 20 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अपनी कठिनाइयों को व्यक्त किया और प्रस्तावित संशोधन पर उनके विचार मांगे जोकि इस प्रकार है: 'प्रत्येक राज्य सरकार नियम 4 (i) में निर्दिष्ट नियमों के तहत निर्धारित केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व की सीमा तक विभिन्न स्तरों के पात्र अधिकारियों की संख्या संबंधित राज्य सरकार के पास एक निश्चित समय में राज्य संवर्ग (कैडर) की कुल अधिकृत संख्या की तुलना में उपलब्ध अधिकारियों की संख्या के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित करते हुए केन्द्र सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध कराएगी। केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से तय की जाएगी।'

ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत सरकार के किसी भी कदम का विरोध करने का फैसला किया है, भले ही वह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने या केन्द्र में सरकारी तंत्र को चलाने से जुड़ा ही क्यों न हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह संशोधन 'सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ' है और 'आईएएस/आईपीएस अधिकारियों की तैनाती के मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूद लंबे समय से चली आ रही सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में व्यवधान पैदा करता है'।

हालांकि यह संशोधन भारत सरकार और उसके विभिन्न संगठनों, जिन्हें आईएएस कैडर के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है। दरअसल, आईपीएस कैडर के नियमों में भी इसी तरह का संशोधन किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कभी भी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाते हैं जिसकी वजह से उनके भीतर कुएं के मेंढक वाली एक मानसिकता विकसित हो जाती है। केन्द्र स्तर का एक कार्यकाल अधिकारियों के क्षितिज को व्यापक बनाता है और अन्य कैडरों के अधिकारियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा उनके भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाती है।

कार्मिक विभाग ने 12 जनवरी, 2022 को एक और पत्र जारी कर संशोधन के दायरे को 'विशिष्ट परिस्थितियों में जब केन्द्र सरकार को जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता हो' तक विस्तृत कर दिया। इस पत्र ने आईएएस अधिकारियों के जेहन में एक वास्तविक चिंता पैदा कर दी है। आईएएस अधिकारियों को यह महसूस हो रहा है कि यह उन अधिकारियों का उत्पीड़न करने की एक चाल हो सकती है, जिनसे केन्द्र सरकार कुछ कारणवश रुष्ट हुई है। भारत सरकार के लिए इस उपधारा को वापस लेना अच्छा रहेगा।

इस संदर्भ में, कैडर प्रबंधन के बारे में सरकारिया आयोग के विचार बेहद प्रासंगिक हैं। 'यदि किसी उपयोगकर्ता विशेष को पूल का प्रबंधन करने वाले प्राधिकरण के निर्णयों को वीटो करने की शक्ति मिलती है, तो संसाधनों का एक पूल कई उपयोगकर्ताओं के लिए एक 'साझा' पूल नहीं रह जाता है। इसलिए, हम व्यावहारिक रूप में किसी भी ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना करने में असमर्थ हैं जिसमें वह अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को अत्यधिक अधिकार देता हो और इसके बावजूद केन्द्र सरकार से उन अधिकारियों के प्रशिक्षण, करियर प्रबंधन और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए जिम्मेदार होने की अपेक्षा करता हो। इसलिए, इन मामलों में अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार का होना चाहिए।'

अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न विषयों और स्तरों पर सुधारों की तत्काल जरूरत है। केन्द्र में प्रतिनियुक्ति एक ऐसा उपाय है, जिसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। राज्यों की ओर से सहयोग में कमी को केन्द्र सरकार के आड़े आने नहीं दिया जा सकता। राज्यों को अपनी जमींदारी के तौर पर देखने की मानसिकता से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बाहर निकल आना चाहिए।

(लेखक इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं)

सिविल सेवा के लिए नियम केंद्र को राज्यों और आईएएस अधिकारियों दोनों से परामर्श करके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में आयी कमी का समाधान करना चाहिए

केएम चंद्रशेखर और टीकेए नायर

भारतीय प्रशासनिक सेवा सुर्खियों में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी नियमों में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधनों पर गंभीर आपत्तियां दर्ज करायी गई हैं। प्रभावी शासन के लिए और सहकारी संघवाद की भावना का सम्मान करते हुए, नियमों में किसी भी बड़े बदलाव के लिए राज्यों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।

आईएएस अधिकारियों की भर्ती, नियुक्ति, उन्हें प्रशिक्षण देने तथा विभिन्न राज्य कैडर में आवंटित करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, आईएएस अधिकारियों को न केवल अपने राज्य कैडर में बल्कि, केंद्र सरकार में भी, जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाये, सेवाएँ प्रदान करने का कार्यादेश दिया जाता है।

केंद्र सरकार में उप सचिव/निदेशक से सचिव तक के वरिष्ठ पदों पर विभिन्न राज्य कैडर से आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति एवं अन्य सेवाओं के अधिकारियों, क्षेत्र–विशेष के विशेषज्ञों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति होने की उम्मीद की जाती है।

इस प्रकार आईएएस अधिकारी उन राज्य सरकारों, जिनसे वे संबंधित हैं और केंद्र सरकार जो उनकी नियुक्ति प्राधिकारी है, के दोहरे नियंत्रण में होते हैं। आईएएस की योजना और संरचना में केंद्र और राज्य दोनों को– देश के प्रभावी शासन के लिए अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए शक्ति के विभाजन की परिकल्पना की गई है।

आईएएस अधिकारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में अंतिम अधिकार केंद्र सरकार में निहित है, जिसमें नियुक्ति, स्थानान्तरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हैं, लेकिन राज्य सरकारों के पास भी प्रासंगिक नियमों के माध्यम से इन मामलों में भागीदारी की भूमिका है।

इसलिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आईएएस कैडर नियमों में बदलाव को हमारी अर्ध–संघीय राजनीति के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों की संरचना और कामकाज के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा 5 और 12 जनवरी को लिखे दो पत्रों में आईएएस कैडर नियमों में बदलाव करने और कुछ जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। पहले पत्र में प्रस्ताव है कि राज्य सरकारें 'केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए' विभिन्न स्तरों पर पात्र अधिकारी उपलब्ध कराएंगी, जिन्हें प्रतिनियुक्ति आरक्षित माना जायेगा। इसकी गणना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी और असहमति की स्थिति में केंद्र सरकार का विचार अंतिम रूप से मान्य होगा। इसके अलावा, यह राज्य सरकारों को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्र सरकार के निर्देश को पूरा करने का कार्यादेश देता है।

12 जनवरी को लिखे पत्र के माध्यम से और आगे जाते हुए, केंद्र ने किसी भी केंद्रीय पद पर नियुक्ति के लिए किसी राज्य में किसी भी आईएएस अधिकारी की सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार अपने पास रखा है, जहां 'राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर केंद्र के निर्णय को प्रभाव में लायेगी।' अधिक बदलाव के साथ यह कहा गया है कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस निर्देश की उपेक्षा करती है, तो अधिकारी (अधिकारियों) को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से कैडर से कार्यभार–मुक्त कर दिया जाएगा।'

इन कदमों में जल्दबाजी दिखती है। ऐसा करना जरूरी हो गया, क्योंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गयी है। एक अनुमान के मुताबिक, अनिवार्य आरक्षित वर्ग 2014 के 69 फीसदी से कम होकर 2021 में 30 फीसदी रह गया है।

यह निश्चित रूप से गंभीर कमी को दर्शाता है, लेकिन नियमों में बड़े बदलावों का प्रस्ताव करने के बजाय, भारत सरकार को पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अब पहले की तरह लोकप्रिय क्यों नहीं रह गई है।

क्या केंद्र में सेवा की शर्तें राज्यों की तुलना में खराब हो गई हैं, जिससे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति राज्यों में नियुक्त अधिकारियों के लिए कम आकर्षक हो गई है? क्या उच्च स्तर पर पैनल प्रणाली में बदलाव ने उन अधिकारियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं जो अन्यथा केंद्र में सेवा के लिए उपलब्ध होते? क्या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईएएस अधिकारियों के सेवा कार्यकाल में अनिश्चितता बढ़ गई है?

भारत सरकार को इस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि जमीनी स्तर के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। यहां तक कि केंद्रीय योजनाओं को भी बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है। राज्यों से केंद्र में अधिकारियों का मनमाना और अचानक स्थानांतरण राज्य में शासन को कमजोर करते हुए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है।

इसके अलावा, गैर–भाजपा राज्य इस बात से चिंतित हैं कि वे अपने संवैधानिक रूप से प्रदत्त शासन करने के अधिकार के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखते हैं, जिसमें कुछ औचित्य भी है राज्य संस्थानों के माध्यम से शासन करते हैं, जिनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा आईएएस होते हैं।

केंद्र सरकार और गैर–भाजपा राज्य सरकारों के बीच बढ़ते मतभेदों और टकराव के क्षेत्रों की पृष्ठभूमि में, प्रस्तावित संशोधनों पर विवाद टाला जा सकता है।

इसलिए यह अच्छा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। उन्हें अधिकारियों को भी शामिल करते हुए प्रक्रिया को व्यापक करने की सलाह दी जाएगी। इसके बाद राज्य तय करें कि केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर आईएएस अधिकारियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन सही दिशा में हैं, या नहीं। इसके साथ ही राज्यों के प्राधिकार, शासन की जिम्मेदारी और कार्यात्मक दक्षता को भी कमजोर नहीं किया जाना चाहिए तथा अधिकारियों पर अनुचित संकट और उनके पारिवारिक जीवन में व्यवधान भी पैदा नहीं होना चाहिए।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि समाधान, सहकारी संघवाद में निहित है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में बर्नपुर में एक समारोह में कहा था,'हमारे संविधान ने हमें एक संघीय ढांचा दिया है। अफसोस की बात है कि केंद्र–राज्य संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण थे। मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, और मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सहकारी संघवाद पर फोकस रखते हुए बदलाव किये हैं... इसलिए मैं टीम इंडिया कहता हूं... टीम इंडिया के दृष्टिकोण के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता।'

केएम चंद्रशेखर, पूर्व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार रहे हैं और टीकेए नायर ने पीएम मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है।

समृद्धि और विकास के नए शिखरों की ओर बढ़ता हिमाचल प्रदेश

– जय राम ठाकुर –
मुख्यमंत्री

आज के इस एतिहासिक और पावन दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। हम आज हिमाचल प्रदेश का 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष इस दिवस को हम प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के पचास साल पूरे होने पर आयोजित किए गए स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह के रूप में भी मना रहे हैं। प्रदेश में बीते पचास वर्षों में हुई प्रगति और विकास का उत्सव हमने अनेक आयोजनों के माध्यम से मनाया। कोरोना महामारी के कारण बहुत से पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन संभव नहीं हो सका। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए।

25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्ज़ा मिला और इस प्रकार यह पहाड़ी प्रांत भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद हिमाचल प्रदेश ने प्रगति और समृद्धि की राह पर तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ाए और आज यह प्रदेश केवल पहाड़ी राज्यों ही नहीं बल्कि देश के अन्य बड़े राज्यों के लिए भी विकास का पथ प्रदर्शक बन गया है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, पावर सरपल्स राज्य का दर्जा, बागवानी और कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि, साक्षरता दर में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त करना, गांव – गांव तक सड़क सुविधा तथा घर – घर तक पानी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक हैं जो राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं। इस उपलब्धि का श्रेय यहां के लोगों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उद्यमशीलता को जाता है।

वर्ष 1971 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपये थी जो आज बढ़कर 1,83,286 हो गई है जो देश के अधिकांश राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1971 में 223 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1,56,522 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह, शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और आज हमारी साक्षरता दर 82. 80 प्रतिशत हो गई है जो 1971 में 23 प्रतिशत थी। केरल राज्य के बाद हिमाचल की साक्षरता दर दूसरे स्थान पर है।

प्रदेश में वर्ष 1971 में कृषि उत्पादन 954 मीट्रिक टन से बढ़कर 1500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में 1,53,643 किसानों ने प्राकृतिक खेती – खुशहाल किसान को अपनाया है और 9,192 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। 1971 में खाद्यान्न उत्पादन 9.40 मीट्रिक टन था जो आज 16.74 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पिछले पांच दशकों में 24 हज़ार हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को सिंचाई के अधीन लाया गया है। बागवानी उत्पादन वर्ष 1970 – 71 में लगभग 149 मीट्रिक टन था जो आज लगभग 900 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। उस समय प्रदेश में 587 स्वास्थ्य संस्थान थे जिनकी संख्या बढ़कर 4320 और शिक्षण संस्थानों की संख्या 4693 से बढ़कर 16067 हा चुकी है। इसी तरह, सड़कों की लम्बाई 10,617 किलोमीटर से बढ़कर 38 हज़ार किलोमीटर से अधिक हो गई है। वर्ष 1971 राज्य में 2944 गांवों का विद्युतीकरण हुआ था जबकि आज शत – प्रतिशत गांवों को बिजली की सुविधा पहुंचाई जा चुकी है।

हिमाचल प्रदेश ने देश के फल राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है और यहां गैर – मौसमी सब्जियों का उत्पादन भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में फार्मा उद्योग का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और यह पूरे एशिया का फार्मा हब बनकर उभरा है।

इस विशेष दिवस पर मैं हिमाचल निर्माता तथा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डा. यशवंत सिंह परमार जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रदेश के विकास के लिए एक मज़बूत आधार रखा। प्रदेश को समय – समय पर नेतृत्व प्रदान करने वाले सभी महानुभावों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रदेश को विकास और खुशहाली के पथ पर आगे ले जाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं उन प्रदेशवासियों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चार वर्ष पहले आपने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी थी और आपके समर्थन व सहयोग से मुझे तथा मेरी सरकार को प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा – पत्र 'स्वर्णिम दृष्टि पत्र' को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाकर लोगों से किए सभी वायदों को पूरा किया तथा प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू कीं। प्रदेश सरकार ने इस अवधि में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, लोगों की ज़रूरतों और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के कई संस्थान और कार्यालय खोले तथा वर्तमान कार्यालयों को सुदृढ़ किया तथा प्रदेश में रोज़गार के अवसर भी सृजित किए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र को आत्मसात् करते हुए हमने समाज के हर वर्ग और प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित एवं समग्र विकास सुनिश्चित किया। नई सोच, नए जोश और नए विचारों के साथ हमने प्रदेश में विकास को नया आयाम देने का प्रयास किया है।

प्रदेश सरकार ने अपनी पहली मंत्रीमण्डल की बैठक में ही बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का फैसला किया। हमारी सरकार के कार्यकाल में लगभग दो लाख पेंशन के नए मामले स्वीकृत किए गए। विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई है जिसके कारण पेंशनधारक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधाान किया गया है। पेंशन वितरण में पारदर्शिता और समय पर वितरण के उद्देश्य से पेंशन का भुगतान अब इस महीने से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेशवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपनी समस्याओं के समाधान में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हमने जन मंच की अनूठी पहल की है। जन मंच के माध्यम से मंत्री और अधिकारी लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर जन समस्याओं का घर – द्वार के पास ही समाधान कर रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 232 जनमंच आयोजित किए गए हैं, जिनमें प्राप्त 53 हजार से अधिक शिकायतों और मांगों में से 93 प्रतिशत का समाधान किया गया है। इसी कड़ी में घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन – 1100 की शुरुआत की गई है, जिस पर दर्ज़ 3 लाख से अधिक शिकायतों में से 86 फीसदी का समाधान किया जा चुका है।

गृहिणियों को खाना बनाने के लिए लकड़ी इकटठा करने में होने वाली परेशानियों और चूल्हे के धुएं से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से मुक्त करवाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की, जिससे देश की करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना के सार्वभौमिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लागू की जिसके अंतर्गत प्रधाानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाने वाले 3 लाख 23 हजार परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इन दोनों योजनाओं के सफल संचालन से हिमाचल को देश का पहला चूल्हा धुआंमुक्त राज्य घोषित किया गया है। ये योजनाएं पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित हुई हैं।

प्रदेश के जो लोग केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए हमारी सरकार ने नि:शुल्क ईलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना – हिमकेयर शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत 5 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है और अभी तक 2 लाख 17 हजार लोगों के ईलाज के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि व्यय की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पी.जी. आई. चंडीगढ़ तथा अन्य निजी अस्पतालों सहित कुल 227 स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत किया गया है।

गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत निरंतर देखभाल के लिए 3 हजार रुपये प्रतिमाह दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अंतर्गत् सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को एक हजार 374 प्रकार की निर्धारित दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का कार्य वृहद् स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश में छ: मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। बिलासपुर ज़िले के कोठीपुरा स्थित एम्स में ओ.पी.डी. सुविधा आरम्भ की गई है।

प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। वर्ष 2019 में धर्मशाला में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। इस दौरान 96 हजार 721 करोड़ रुपये निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शिमला में पहली बार आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 13 हजार 656 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 27 दिसम्बर, 2021 को मण्डी में दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अवसर पर 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की 287 निवेश परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं के शुरू होने से जहां प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और उनका पलायन रुकेगा वहीं, प्रदेश की आर्थिकी में सुधार होगा और उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हमारे लिए यह बहुत गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की व्यापार में सुगमता की रैंकिंग 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंची है।

युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना और मुख्यमंत्री स्टार्ट – अप योजना वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत 2 हज़ार 593 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिन्हें 146 करोड़ 79 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम योगदान दे रहा है। वर्तमान राज्य सरकार का चार साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मण्डी में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 हजार 581 करोड़ रुपये की घौलासिद्ध, लारजी और रेणुका बांध परियोजनाओं का लोकार्पण और सावड़ा – कुडडू परियोजना का शिलान्यास किया। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास के लिए हमारी सरकार ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति मंजूर की है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2030 तक 10 हजार मैगावाट अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यह प्रदेश के लिए राजस्व का एक बड़ा माध्यम भी है। पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने 'नई राहें, नई मंज़िलें' योजना संचालित की है। कांगड़ा ज़िले में बीड़ – बिलिंग को पैरा – ग्लाइडिंग, शिमला ज़िले में चांशल घाटी को स्कीईंग, मंडी ज़िले में जंजैहली को ईको – पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी ज़िले के लारजी व तत्तापानी तथा कांगड़ा जिले के पौंग जलाशय को जल क्रीड़ा गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मंडी के कंगनीधार में 183 करोड़ रुपये की लागत से भव्य शिव धाम स्थापित किया जा रहा है, जो लोगों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा। मंडी ज़िले के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रदेश में रज्जू मार्गों का निर्माण भी सरकार की प्राथमिकताओं में है और हाल ही में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए 207 करोड़ रुपये से बने रोपवे का शुभारंभ किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों, जहां नवोदय अथवा एकलव्य विद्यालय नहीं है, वहां अटल आदर्श विद्यालय की स्थापना की जा रही है। 26 अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित किए गए हैं।

स्वर्ण जयन्ती सुपर 100 योजना के तहत दसवीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 11वीं कक्षा में पढ़ रहे 100 मेधावी विद्यार्थियों को व्यावसायिक अथवा किसी तकनीकी कोर्स में प्रशिक्षण के लिए 1 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना और प्राकृतिक खेती – खुशहाल किसान योजना आरम्भ की गई है, जिससे हजारों किसानों को लाभ हो रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाने में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी सरकार प्रयासरत है कि प्राकृतिक खेती की दिशा में हिमाचल प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल 6 हजार रुपये की दर से अब तक प्रदेश के 9 लाख 37 हजार किसानों को 1532 करोड़ 38 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख 44 हजार से अधिक किसानों को 44 करोड़ 45 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है।

मेरा हमेशा मानना रहा है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के दुख – दर्द को कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी सरकार पहले दिन से ही इस दिशा में प्रयास कर रही है। बी.पी.एल. परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना और बेसहारा महिलाओं और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बहुत लाभदायक साबित हुई हैं। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के जरिए राज्य के गरीब लोगों को मुत घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बी.पी.एल. परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में लगभग 5 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 6 हजार 617 घरों का निर्माण किया गया है।

वर्ष 2022 तक राज्य के सभी गांवों और बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन लागू किया है, जिसके तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 7.78 लाख नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे पहले प्रदेश में मात्र 7.63 लाख कनेक्शन दिये गये थे।

प्रदेश में सड़कों और पुलों का निर्माण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिताओं में शामिल है। पिछले चार वर्षों में 3 हजार 108 किमी लंबी सड़कों और 240 पुलों का निर्माण किया गया तथा 321 गांवों को सड़क सुविधा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए वरदान साबित हुई है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग के निर्माण से प्रदेश में सड़क सुविधा के साथ – साथ पर्यटन व्यवसाय को भी नया आयाम मिला है। अटल टनल रोहतांग का शुभारम्भ करने के लिए मैं केंद्र सरकार और विशेषतौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

प्रदेश सरकार ने विकास और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में 412 नई ग्राम पंचायतों और तीन नए नगर निगमों का गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की गई है।

हिमाचल ने अपने विशिष्ट हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों से पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई है। धर्मशाला में कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया गया है, जो कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र होगा। हाल ही में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए सिरमौर ज़िले में सोम्ब नदी पर आदी बद्री बांध निर्माण को लेकर हरियाणा ने प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इससे क्षेत्र के आसपास के गांवों के विकास के साथ – साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और प्रदर्शन के लिए प्रदेश को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। नीति आयोग के सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहले पायदान और देशभर में दूसरे स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बागवानी, कृषि आदि क्षेत्रों में भी प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को सम्मानित किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्यों के सूचकांक और डैशबोर्ड 2020 – 21 में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा हाल ही में जारी मोस्ट इम्प्रूवड बिग स्टेट्स इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है।

पिछले लगभग दो वर्षों से अधिक समय से समूचा विश्व कोविड महामारी के संकट का सामना कर रहा है। इस महामारी पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने आरम्भ से ही प्रभावी कदम उठाए। प्रदेश के लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किया। प्रदेश में पहले केवल दो ही ऑक्सीजन संयंत्र थें, जबकि आज प्रदेश में 48 ऑक्सीजन संयंत्र हैं। आज प्रदेश में एक हजार से अधिक वेंटिलेटर की सुविधा है जबकि पूर्व में राज्य के पास केवल 50 वेंटिलेटर थे।

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आप लोगों के सहयोग से हमारा प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े मफ्त वैक्सीनेशन अभियान के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पहले व दूसरे डोज में शत – प्रतिशत् टीकाकरण करने में प्रथम रहा है। इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और प्रदेशवासियों के सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस महामारी के कारण प्रभावित विभिन्न वर्ग के लोगों को हमारी सरकार ने वित्तीय सहायता देने के साथ – साथ उन्हें अनेक प्रकार की राहत प्रदान की है। इस महामारी के दौरान सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि प्रदेश में विकास की गति प्रभावित न हो।

हालात सामान्य हो ही रहे थे कि इस वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रोन हमारे सामने एक बार फिर चुनौती बनकर उभरा है। राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है लेकिन आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी सतर्क और सावधान रहें, कोविड अनुरूप व्यवहार तथा प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सभी दिशा – निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

पिछले चार वर्षों में हमने हिमाचल को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आप लोगों के पूर्ण सहयोग और सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में विकास के शिखर पर पहुंचेगा और देश का सबसे विकसित राज्य बनने का हमारा सपना साकार होगा।

मैं पुन: पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आपके स्वस्थ व समृद्ध जीवन की कामना करता हूं।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग–707 के पांवटा साहिब–गुम्मा–फेडिज अनुभाग के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग- 707 के पांवटा साहिब-गुम्मा-फेडिज अनुभाग के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसे जल्द से जल्द राज्य के लोगों को समर्पित किया जा सके।

मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग के पावंटा साहिब विश्राम गृह में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिला सिरमौर में जारी विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 का निर्माण कार्य चार पैकेज में विभाजित किया गया है और पैकेज-चार के अन्तर्गत श्री क्यारी से गुम्मा भाग का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि लगभग दस करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है और शेष राशि का वितरण भी शीघ्र ही कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान, (आईआईएम) धौलाकुंआ के कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को इसके कुछ भाग का कार्य इसी वर्ष अगस्त माह तक पूर्ण कर इसे हस्तांतरित करने के निर्देश दिए ताकि इसे क्रियाशील किया जा सके। बैठक में बताया गया कि आईआईएम में वर्ष 2022 के लिए 600 से अधिक छात्रों का दाखिला किया जाएगा। आईआईएम की सुरक्षा दीवार का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शैक्षणिक सत्र 2023 नए कैम्पस में प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जिला में नए प्रापण केंद्रों की स्थापना के मामले पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज विपणन समिति और हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से गेंहू और धान का प्रापण प्रारम्भ करने की सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया कि जिला में तीन केंद्रों हरीपुर टोहाना, कालाअम्ब और रामपुर घाट में प्रापण प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है लेकिन जिला में प्रापण केंद्रों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

बैठक में ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी, नाहन से विधायक डॉ. राजीव बिन्दल, पच्छाद से विधायक रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, जिला परिषद की अध्यक्षा सीमा कनयाल, उपायुक्त राम कुमार गौतम, अतिरिक्त उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में उपभोक्ता स्तर पर पेयजल की मात्रा व गुणवत्ता तथा नल कार्यशीलता में हिमाचल देश भर में प्रथम:महेंद्र सिंह

शिमला/शैल। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग द्वारा राज्य में पिछले दो वर्षों में 8.27 लाख घरों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाया गया है, जो पिछले 72 वर्षों में लगे 7.63 लाख नलों से अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के जल शक्ति विभाग की प्रशंसा की है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश ने हर घर नल उपलब्ध करवाने की दिशा में पूरे देश में अग्रणीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में उपभोक्ता स्तर पर पेयजल की मात्रा व गुणवत्ता तथा नल कार्यशीलता में पूरे देश में हिमाचल को प्रथम आंका गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 2022 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है जबकि हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का राष्ट्रीय लक्ष्य 2024 तक का है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 92 प्रतिशत घरों को कार्यशील नल प्रदान कर दिए गए हैं।

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मार्च, 2022 तक कुल 2240.10 करोड़ रुपये की धनराशि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें से चालू वित वर्ष के लिए 1429.08 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश को 57.15 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी, जबकि वर्ष 2020-21 में प्रदेश को 221.28 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी जो कि देश भर में मिशन के अन्तर्गत बेहतर कार्य करने वाले अग्रणी सात राज्यों में सर्वाधिक है।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2021-22 की अंतिम किस्त 315.69 करोड़ रुपये मिल चुकी है और वर्ष 2021-22 में प्रदेश को भारत सरकार से कुल 1262.78 करोड़ रुपये केंद्र की हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इस वर्ष भी प्रोत्साहन राशि अपेक्षित है।

उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग जल की शुद्धता पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। शुद्ध जल देने की दिशा में विभाग द्वारा राज्य में 14 जिला स्तरीय व 42 उपमंडल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से 37 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय मानकों के आधार पर एन.ए.बी. एल. से प्रमाणिकता मिल चुकी है। इसके साथ एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है, जिसमें पानी के नमूनों की राष्ट्रीय ब्यूरो मानक के आधार पर सभी भौतिक रासायनिक व जीवाणु परीक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में पानी के 3,71,080 नमूनों का परीक्षण किया गया।

राज्य सरकार के स्वर्णिम जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में जल शक्ति विभाग द्वारा जल गुणवत्ता व संरक्षण थीम पर भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में जल शक्ति विभाग द्वारा इस माह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक और जन अभियान शुद्ध जल अभियान शुरू किया गया है। जल नमूनों के परीक्षण को और अधिक बढ़ाने के लिए इस वर्ष जून व अक्तूबर माह में भी एक अभियान चलाया गया, जिसमें केवल इन दो महीनों में पानी के कुल 64,701 नमूनों के परीक्षण प्रयोगशालाओं में व 54,394 पानी के नमूनों के परीक्षण फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से किये गये।

प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्यस्तरीय समारोह सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पूरे उत्साह व उल्लास के साथ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन

जंगलबैरी, गृह रक्षक, एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली।

परेड का नेतृत्व प्रोबेशनर उप-पुलिस अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया।

इस अवसर पर प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियों को लेकर मामला उठाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए दो विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के 1.75 लाख पेंशनधारकों को 2000 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान होगा। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31 प्रतिशत मंहगांई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरन्त प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैल, 2022 से प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने के लिए हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डा. वाई. एस. परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हिमाचल खुम्ब विकास योजना से खुले स्वावलंबन के द्वार

शिमला । प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, बागवानी सहित अनेक क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा कई प्रभावी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल लाभार्थियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं बल्कि वह क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं।

राज्य सरकार की महत्त्वकांक्षी हिमाचल खुम्ब विकास योजना के तहत खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खुम्ब उत्पादन इकाई लगाने तथा खुम्ब उगाने के लिए खाद इकाई स्थापित करने पर उपदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 6.30 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

जिला सिरमौर स्थित बिरला गांव के निवासी बिशन दास ने अक्तूबर, 2018 में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो से सेवानिवृत्त होने के बाद हिमाचल खुम्ब विकास योजना के तहत खुम्ब उत्पादन इकाई स्थापित कर स्थानीय युवाओं को घर-द्वार पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा कर एक मिसाल कायम की है।

बिशन दास ने बताया कि जब वह सेना से सेवानिवृत हो रहे थे तब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना कोई ऐसा कार्य किया जाए, जिससे न केवल उन्हें बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके लिए उन्होंने खुम्ब उत्पादन इकाई लगाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उन्होंने उद्यान विभाग के

माध्यम से धौलाकुआं में खुम्ब उगाने का 25 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके पश्चात अपने गांव बिरला में एक छोटी खुम्ब इकाई स्थापित की, जिसमें उन्होंने 500-500 बैग के तीन यूनिट स्थापित किए। इन इकाइयों को सफलतापूर्वक चलाने के बाद उन्होंने मोगिनंद में 25000 बैग की बड़ी इकाई स्थापित की। इसके लिए उन्हें उद्यान विभाग से हर सम्भव मदद प्राप्त हुई। उन्होंने कम्पोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए 17 लाख रुपये तथा उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए यूको बैंक से 65 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया, जिसके उपरांत उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से 8-8 लाख रुपये की उपदान राशि प्राप्त हुई।

बिशन दास ने मार्च, 2021 में अपना यूनिट स्थापित करना शुरू किया जो कि अगस्त माह में बनकर तैयार हो गया तथा अक्तूबर, 2021 से प्लांट में खुम्ब का उत्पादन आरंभ हो गया। अब वह प्रतिमाह 20 से 30 टन खुम्ब का उत्पादन कर सभी खर्चों को निकालकर 3 से 4 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने उत्पाद को चंडीगढ़, अंबाला के अतिरिक्त स्थानीय बाजार में भी बेच रहे हैं और अपनी इकाई में उन्होंने 30 स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है। प्रदेश सरकार द्वारा जिला सिरमौर में 116 लाभार्थियों को खुम्ब उत्पाद इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 करोड़ 41 लाख 55 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

जब आउटसोर्स से भर्ती हो सकती है तो नियमित क्यों नहीं

- क्या आउटसोर्स कंपनिया कमीशन का माध्यम बन कर रह गयी है
- एन एच एम में 23 वर्षों से हो रहा कर्मचारियों का उत्पीड़न
- आर के एस, एस एम सी कर्मियों का भविष्य भी सवालों में
- आउटसोर्स में 94 लोगों को मिला 23 करोड़ का कमीशन
- पिछली सरकार में तय हुआ था कि वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होंगी यह भर्तिया
- क्या जयराम सरकार में इस आदेश का पालन हुआ है?

शिमला/शैल। हिमाचल में रोजगार देने का सबसे बड़ा अदारा सरकार है। इस समय प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा दस लाख से पार हो चुका है। इसमें प्रतिवर्ष करीब सात हजार करोड़ की बढ़ौतरी होती है। ऐसे में यह सवाल अहम होता जा रहा है कि इन लोगों को रोजगार कब और कैसे मिलेगा? इसके लिये सरकार और उसकी नीतियों पर चर्चा करना बाध्यता हो जाती है क्योंकि एक समय हिमाचल सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में सिक्किम के बाद दूसरा बड़ा राज्य बन गया था। इसका अनुपात बढ़ गया था। इस पर फेयर लॉज में अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई थी। जिसमें दीपक सानंन कमेटी ने कुछ सुझाव दिये थे। जिसके आधार पर योजना आयोग के साथ एक एमओयू साइन किया गया था। इसके बाद कई पदों की कटौती की गई थी। लेकिन आज प्रदेश त्रिपुरा और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य हो गया है जहां बेरोजगारी 20% से अधिक हो गयी है। यही नहीं हिमाचल में 1996 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऑपरेट हो रही आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त हुये हजारों कर्मचारी आज तक 23 वर्षो से नियमित कर्मचारी नहीं है। कई तो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ऐसा इसलिये हुआ की एन एच एम कोई सरकारी विभाग न होकर एक सोसाइटी मात्र है। यही स्थिति रोगी कल्याण समितियों के तहत नियुक्त हुये कर्मचारियों की है।

शिक्षा विभाग में भी एसएमसी के माध्यम से नियुक्त किये गये अध्यापकों की है। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षण आज तक प्राइवेट हाथों में है। इसके लिये अब तक कोई नीति नहीं बन पायी है। अब इसके साथ आउट सोर्स के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों में लगे हजारों कर्मचारियों की समस्या जुड़ गयी है। क्योंकि यह सारे कर्मचारी तो किसी सरकारी सोसाइटी के भी नहीं है। इन्हें तो प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से रखा गया है। इन कंपनियों का तो पंजीकरण भी भारत सरकार के संस्थान नाईलेट के माध्यम से है। आउटसोर्स की अवधारणा के मुताबिक केवल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जुड़ी सेवाएं ही थोड़े समय के लिए आउटसोर्स की जा सकंती हैं ताकि इसमें कितने समय में नियमित लोग ट्रेण्ड हो सके। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। कंपनी सरकार के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगी और उसके लिए ही कमीशन लेगी। नाईलेट में इसी आधार पर इनका पंजीकरण होता है। इस आधार पर ही आउटसोर्स की व्याख्या बदलकर इसे लागू करना बुनियाद बुनियाद से ही गलत है।

इससे हटकर इस समय जिस तरीके से इसके माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं उसमें मैरिट और आरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि वह तब संभव है जब कंपनी कुछ किसी तरह की नौकरियां विज्ञापित करें। कंपनी ऐसा तब कर पायेगी जब उसके पास सरकार या किसी अन्य की कोई एडवांस में निश्चित डिमाण्ड होगी। सरकार को भी ऐसा करने के लिये विज्ञप्ति जारी करके कंपनियों से आफर आमंत्रित करने होंगे। नाईलेट के भीतर की प्रक्रिया की जानकारी रखने वालों को इसकी जानकारी है। लेकिन इस समय नाईलेट से लेकर सरकार तक सब नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

इसीलिये सरकार आज तक आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पायी है। जब पिछली सरकार के दौरान इन कर्मचारियों ने नीति बनाने की मांग रखी थी तब यह सामने आया था कि करीब 35000 कर्मचारी आउट सोर्स के माध्यम से लगे हुये हैं। तब इनके लिए भी छुट्टी आदि की व्यवस्था की गयी थी। विभागों को यह निर्देश दिए गए थे कि भविष्य में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आउटसोर्स से कोई भर्ती नहीं होगी। लेकिन जब जयराम सरकार में पहली बार 2020 में यह मुद्दा उठा तब सदन को बताया गया कि 31-7- 2019 तक आउट सोर्स क माध्यम से 12165 कर्मचारी भर्ती किये गये हैं। यह भी जानकारी दी गयी कि इसके लिये 94 कंपनियों को 23.09 करोड़ का कमीशन दिया गया है। लेकिन यह नहीं बताया कि इसके लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति ली गयी है या नहीं। इसके बाद 2021 में भी यह मुद्दा उठा। कांग्रेस के इंद्रदत लखन पाल और मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने आठ हजार भर्तियां कर ली हैं आउटसोर्स से और इनमें अकेले दो विधानसभा क्षेत्रों धर्मपुर और सिराज से ही पांच हजार भर्ती कर लिये हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि इस सरकार ने 1195 पटवारी भर्ती करने के लिये आवेदन आमंत्रित किये थे जिसमें तीन लाख आवेदन आये। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। सरकार अब तक 4 वर्षो में केवल 23,000 लोगों को ही रोजगार दे पायी है। जबकि 2021-22 के बजट में ही वर्ष में 30,000 भर्तियां करने का वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ है। इस समय एनएचएम, आर के एस, एस एम सी और आउटसोर्स के माध्यम से करीब एक लाख कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। जिनका कोई भविष्य नहीं है। नियमित के बराबर वेतन तक नहीं मिल रहा है। आउटसोर्स कंपनियां केवल कमीशन खाने का साधन बनकर रह गयी हैं। चर्चा है कि महेंद्र सिंह कमेटी ने 142 कंपनियों को पत्र लिखा था जिसमें से शायद बाईस का ही जवाब आया है। इससे यह अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि एक ही व्यक्ति कई कई कंपनियां चला रहा है।

क्या जयराम सरकार मीडिया

.....पृष्ठ 1 का शेष

शिकायत का आधार कारण ही संबद्ध प्रशासन का व्यवहार होता है। लेकिन प्रशासन सच्चाई सुनने और झेलने को तैयार नहीं होता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों मंत्रियों या मुख्यमंत्री के पास कभी भी सही जानकारी पहुंचती ही नहीं है। इसी में गोदी मीडिया की भूमिका आ जाती है। वह प्रशासन द्वारा परोसी गई जानकारी ही जनता की स्थिति बनाकर राजनेताओं को परोस देता है और उसी को सब अंतिम सच मानकर चल पड़ते हैं। यही कारण है कि मीडिया द्वारा सब हरा ही हरा दिखाने के बाद परिणाम भयंकर सूखे के रूप में सामने आता है। आज मीडिया ने सत्ता से सवाल पूछने की बजाये विपक्ष से सवाल करने की नीति अपना रखी है क्योंकि उसे सत्ता और उसके माध्यम से करोड़ों के विज्ञापन चाहिये। आज मीडिया जनता का पैरोकार होने के बजाय सत्ता का संदेशवाहक होकर रह गया है। यहां फिर नीति निर्माताओं को यह तय करना होगा कि वह किस का पक्षधर होकर नीति बनाना चाहते हैं जनता या सत्ता का।

आज भी जनता अपना दुख मीडिया के माध्यम से सत्ता तक पहुंचाना चाहती है। जो तीखा सवाल जनता सत्ता से सीधा नहीं पुछ पाती है वहां वह सवाल मीडिया से अपेक्षा करती है कि वह पूछे। जो मीडिया सत्ता से तीखा सवाल पूछने का साहस करता है। दस्तावेजी प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने रखता है उसे सत्ता का दुश्मन मान कर उसका गला घोंटने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो मीडिया सत्ता की नाराजगी से न डर कर जनता के साथ खड़ा रहता है वही जनता का विश्वसनीय बन जाता है और उसके आकलन सही प्रमाणित होते हैं। लेकिन सत्ता को वह मीडिया चाहिये जो उसके स्वर में स्वर मिलाकर तबलिगी समाज को कोरोना बम्ब करार दे । हिमाचल में सत्ता और जनता के बीच इसी गोदी मीडिया के कारण इतनी दूरी बन चुकी है जिसे पाट पाना वर्तमान सत्ता के वश में नहीं रह गया है। पहले चार नगर निगम और उसके बाद विधानसभा लोकसभा उपचुनाव में यह सामने आ भी चुका है। आज मीडिया से जुड़ा हर आदमी यह जानता है कि इसका नीति संचालन इन अधिकारियों के हाथ में है ही नहीं। यह तो उस संचालक के हाथों की कठपुतली बनकर अपनी पोस्टिंगज के जुगाड़ में लगे हुये हैं। क्योंकि कुछ को सेवानिवृत्ति के बाद भी पद चाहिये। ऐसे लोगों के हाथों यह उम्मीद करना संभव ही नहीं है कि सरकार मीडिया पॉलिसी बनाने के प्रति ईमानदार हो सकती है। क्योंकि चुनावों में प्रतिष्ठा अधिकारियों की नहीं बल्कि राजनेताओं की होती है। अन्यथा मीडिया की पहली आवश्यकता यही होती है कि उसके साथ विज्ञापनों के आवंटन में पक्षपात न हो। लघु समाचार पत्रों के लिये केंद्र ने यह नियम बना रखा है कि वह प्रिंट के साथ अपनी वेबसाइट भी अवश्य बनायें। प्रिंट के साथ सोशल मीडिया के मंचों पर भी जो नियमित रूप से उपलब्ध रहे उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये। क्योंकि सवाल तो ज्यादा से ज्यादा प्रसार का है। चाहे वह सरकार की नीतियों का हो या उससे सवाल पूछने का। लेकिन जिस सरकार में पत्रों का जवाब देने का ही चलन न हो उससे निष्पक्ष नीति और उस पर निष्पक्ष अमल की उम्मीद कितनी की जानी चाहिये।

घातक होगा कांगड़ा

.....पृष्ठ 1 का शेष

परिणामों के साथ ही हिमाचल के नेतृत्व का प्रश्न एक बार फिर चर्चा का विषय बनेगा। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को अब तक अमली शक्ल नहीं दे पाये हैं। उपचुनाव में चार शुन्य होने के बाद विधानसभा परिणामों को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है। विधानसभा परिणामों का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा यह तय है। इसलिए यह माना जा रहा है कि इन व्यवहारिक स्थितियों का संज्ञान लेकर प्रदेश नेतृत्व पर कोई फैसला लिया जायेगा। क्योंकि उपचुनाव की हार के लिए धूमल ग्रुप को जिम्मेदार ठहराने से प्रदेश भाजपा के अंदर उठा हुआ तूफान बहुत गंभीर हो चुका है।